

प्रकरण संख्या 15/2017

मोहन लाल मिश्रा (पिता) बनाम
 हनुमान लाल मिश्रा (पिता)
 निवासी भीलवाडी

- 1) गोपी मिश्रा (पिता) बनाम भीलवाडी
 2) रामपाल मिश्रा (पिता) बनाम भीलवाडी
 3) मन्जी लाल, कानू मिश्रा बनाम भीलवाडी
 4) देवा मिश्रा (पिता) बनाम भीलवाडी
 5) देवा मिश्रा (पिता) बनाम भीलवाडी

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक 12/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री मोहन लाल हनुमान लाल मिश्रा ने जरिये अभिलेख
 श्री निवृत्त गुणराम शर्मा को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल, गैर-
 खाते की भूमि ग्राम भीलवाडी सह कल्याणपुर तहसील माण्डलगढ में आराजी नं०
68, 74, 96, 104, 105, 195, 242/96
 किता 7 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सामा
 विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान करके
 साथ से प्रार्थनापत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अभिलेखी प्रार्थी
 की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2072/2075 के अवलोकन से प्रार्थी कादरस्त
 आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने वाला
 शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता
 है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाकर
 ग्राम भीलवाडी की आराजी नं० 68, 74, 96, 104, 105, 195
242/96 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा — की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने
 के आदेश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है।
 कमीशनर फीस 800 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं
 पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार
 माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

2